रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 77] प्रयागराज, शनिवार, 16 दिसम्बर, 2023 ई० (अग्रहायण 25, 1945 शक संवत्) [संख्या 50

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	695–704	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1731–1746	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		975
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	693–708	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

आवश्यक सूचना

1—गजट के न मिलने की सूचना गजट में प्रकाशित होने से 15 दिन के अन्दर निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को प्राप्त होनी चाहिये। उसके बाद के परिवादों की कोई सुनवाई न होगी। केवल गजट की वही प्रतियां पुनः बगैर कीमत भेजी जा सकेंगी जो डिलीवरी न होने के कारण वापस आई हों।

2—सम्पूर्ण गजट के ग्राहकों को असाधारण गजट की सम्पूर्ति की जाती है। असाधारण गजट नवीन राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ से वितरित होता है। अतः असाधारण गजट के सम्बन्ध में यदि कोई पत्र-व्यवहार करना हो तो कृपया उक्त पते पर ही करें। सम्पूर्ण गजट का वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक चन्दा 20 सितम्बर, 1997 से क्रमशः रु0 3,075.00 एवं रु0 1,560.00 हो गया है।

3—गजट के प्रत्येक भाग का वार्षिक चन्दा प्रत्येक के सामने अलग-अलग अंकित है। भाग-1 का वार्षिक चन्दा रु0 1,500.00 तथा छमाही चन्दा रु0 780,00 है। स्टोर्स-पर्चेज का वार्षिक चन्दा रु0 1,425.00 तथा अर्द्धवार्षिक चन्दा रु0 750.00 है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भाग का वार्षिक चन्दा रु0 975.00 तथा अर्द्धवार्षिक रु0 555.00 है।

प्रत्येक गजट अथवा गजट (साधारण अथवा असाधारण) के भागों के वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक चन्दे की राशि में यदि कोई परिवर्तन किन्हीं अपरिहार्य कारणोंवश होता है तो उसकी सूचना अलग से दी जायेगी।

4—उत्तर प्रदेश राजपत्र (गजट) के स्थायी ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि वे अर्द्धवार्षिक और वार्षिक चन्दा समाप्त होने की तारीख से एक मास पूर्व ही अपना नवीन चन्दा गजट के लिये इस कार्यालय को भेज देने की कृपा करें, जिससे गजट के भेजने का क्रम टूटने न पावे और नियमित रूप से उन्हें हम गजट भेजते रहें। इससे ग्राहकों को भी असुविधा नहीं होगी और वे निश्चित समय पर गजट प्राप्त कर सकेंगे।

इस सम्बन्ध में, मैं यह भी सूचित करना आवश्यक समझता हूं कि पूर्ण वर्ष के ग्राहक अब जनवरी से दिसम्बर तक के लिये ही बनाये जायेंगे। इनके बीच के महीनों में चन्दा प्राप्त होने पर ग्राहकों का नाम उसी वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक के लिये तथा जैसी स्थिति होगी, अंकित किया जायेगा।

ग्राहकों से यह भी निवेदन है कि वे अपने पत्रों का उत्तर शीघ्र पाने के लिये पत्र-व्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें अन्यथा उत्तर देने में इस कार्यालय को कठिनाई या विलम्ब हो सकता है।

अभिषेक प्रकाश,
निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, विभाग,
उ0प्र0, प्रयागराज।

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

अनुभाग–3

कार्यालय-ज्ञाप

06 सितम्बर, 2023 ई0

सं0 2165/चि0-3-2023–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 6,600 चिकित्साधिकारी (मनोरोग विशेषज्ञ) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1–सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जायेगा।

2–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होगें तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

(2) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3) ओथ ऑफ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5) चल-अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय-ज्ञाप सं0 2165/चि0-3-2023, दिनांक 06 सितम्बर, 2023 की तैनाती सूची

क्रम सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का पता	पत्र-व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	54500017459	5	डा0 स्वाति त्यागी पुत्री/पत्नी श्री दिव्य प्रकाश	मनोरोग	GEN/EWS FEMALE	डा0 स्वाती त्यागी पुत्री सुभाष त्यागी ग्राम सिहानी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के पास, गाजियाबाद-201001	डा0 स्वाती त्यागी पुत्री सुभाष त्यागी ग्राम सिहानी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के पास, गाजियाबाद-201001	240 शैय्या राजकीय जिला संयुक्त चिकित्सालय, गौतमबुद्धनगर
2	54500012737	8	डा0 दिलीप कुमार मौर्य पुत्र श्री पृथ्वीपाल मौर्या	मनोरोग	OBC	खरदेवरी पोस्ट-मुनीला ननकार, इटवा मुदीला ननकार, सिद्धार्थनगर-272192	खरदेवरी पोस्ट-मुनीला ननकार, इटवा मुदीला ननकार, सिद्धार्थनगर-272192	जिला चिकित्सालय, बस्ती
3	54500021586	10	डा0 प्रदीप कुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द्र यादव	मनोरोग	OBC	ग्राम सब्बेपुर, पो0-फतेहगंज, जौनपुर-222232	ग्राम सब्बेपुर, पो0-फतेहगंज, जौनपुर-222232	जिला चिकित्सालय, आजमगढ़

सं0 2167/चि0-3-2023—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 6,600 चिकित्साधिकारी (जनरल फिजीशियन) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1—सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जायेगा।

2—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होगें तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6—नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

(2) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3) ओथ ऑफ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5) चल-अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय-ज्ञाप सं0 2167/चि0-3-2023, दिनांक 06 सितम्बर, 2023 की तैनाती सूची

क्रम सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का पता	पत्र-व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	54500009663	2	डा0 आकर्ष एस0 पुत्र श्री एस0 सुशीलन	फिजिशियन	UR/GEN	आकर्ष एस0 अगस्थ्यकोडू अंचल कोल्लम केरल-691306	आकर्ष एस0 अगस्थ्यकोडू अंचल कोल्लम केरल-691306	100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय, हरदोई
2	54500018643	6	डा0 मो0 इरफान अली खान पुत्र श्री विरासत अली खान	फिजिशियन	UR/GEN	मो0 इरफान खान, 109, कोठी जेलर साहेब चौबुर्जी नियर ओल्ड जिला चिकित्सालय शाहजहॉपुर, उत्तर प्रदेश-242001	मो0 इरफान खान, 109, कोठी जेलर साहेब चौबुर्जी नियर ओल्ड जिला चिकित्सालय शाहजहॉपुर, उत्तर प्रदेश-242001	डा0 राम मनोहर लोहिया (पुरूष) जिला चिकित्सालय, फर्रूखाबाद
3	54500004817	9	डा0 विनोद कुमार सिंह पुत्र श्री हरि नारायण सिंह	फिजिशियन	UR/SC	आर0आर0 सिटी नीलमथा कैण्ट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226002	जी0–142 आवास विकास कालोनी बाराबंकी एन0ए0, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-225001	जिला चिकित्सालय अयोध्या

सं0 2168/चि0-3-2023–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 6,600 चिकित्साधिकारी (पैथालॉजिस्ट) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1—सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जायेगा।

2—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होगें तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6—नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

(2) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3) ओथ ऑफ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5) चल-अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय-ज्ञाप सं0 2168/चि0-3-2023, दिनांक 06 सितम्बर, 2023 की तैनाती सूची

क्रम सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का पता	पत्र-व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	54500006958	4	डा0 ममता द्विवेदी पुत्री/पत्नी अंजनी कुमार त्रिपाठी	पैथालॉजिस्ट	GEN/ EWS FEMALE	उदय शंकर द्विवेदी बसेवारा कला खैरा, मिर्जापुर–231313	ग्रीनवुड अपार्टमेन्ट, एच0 ब्लॉक फ्लैट नं0–806 गोमतीनगर, विस्तार, लखनऊ–226010	जिला महिला चिकित्सालय सीतापुर

सं0 2169/चि0-3-2023–अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 6,600 चिकित्साधिकारी (पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1–सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जायेगा।

2–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होगें तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

(2) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3) ओथ ऑफ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5) चल-अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय-ज्ञाप सं0 2169/चि0-3-2023, दिनांक 06 सितम्बर, 2023 की तैनाती सूची

क्रम सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का पता	पत्र-व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	54500016149	3	डा0 गगन दीप कौर पुत्री/पत्नी श्री वरूण सिसोदिया	पब्लिक हेल्थ	GEN/ EWS FEMALE	गगन दीप कौर सी0/ओ0 डा0 वरूण सिसोदिया 36 सेक्टर–3 राधापुरम् स्टेट, मथुरा-281004	गगन दीप कौर सी0/ओ0 डा0 वरूण सिसोदिया 36 सेक्टर–3 राधापुरम् स्टेट, मथुरा-281004	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कासगंज

सं0 2170/चि0-3-2023–अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 6600/- चिकित्साधिकारी (हड्डी रोग विशेषज्ञ) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1–सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जायेगा।

2–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होगें तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6—नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

(2) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3) ओथ ऑफ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5) चल-अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय-ज्ञाप सं0 2170/चि0-3-2023, दिनांक 06 सितम्बर, 2023 की तैनाती सूची

क्रम सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का पता	पत्र-व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	54500024954	1	डा0 अवनीश कुमार सिंह पुत्र श्री उपेन्द्र सिंह	हड्डी रोग	GEN/ EWS	बी0-51 गारोथान, जौनपुर-222139	बी0-51 गारोथान, जौनपुर-222139	100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय तरवा, आजमगढ़

आज्ञा से,
धीरेन्द्र सिंह सचान,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0—38 हिन्दी गजट—भाग 1—2023 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 16 दिसम्बर, 2023 ई० (अग्रहायण 25, 1945 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

[ADMINISTRATIVE SECTION]

November 21, 2023

No. 1061/IVg-27/Admin.(A-3)–In exercise of the powers conferred by the Sub-section (2) of Section 19 of the Bengal, Agra and Assam, Civil Courts Act, 1887 (Act No. XII of 1887) as amended by Section 2 of the Uttar Pradesh Civil Laws (Amendment) Act, 2015 (U.P. Act No. 14 of 2015), the High Court is pleased to direct that from the date of its publication in the Official Gazette, the jurisdiction of the Civil Judge (Junior Division) named below shall extend to all the original suits cognizable by Civil Courts of such value not exceeding five lakh rupees**:**

Sl. No.	Name of Offcer	Place of posting	Date of Joining
1	2	3	4
	(Sri/Smt./Ms.)–		
1	Manish Kumar Singh	Bahraich (earlier posted in Mathura)	19.02.2020
2	Varuna Basist	Banda (earlier posted in Ghaziabad)	20.02.2020
3	Siddharth Chaturvedi	Haidergarh-Barabanki	30.06.2020
4	Jaiveer Singh	Meerut	05.08.2020
5	Mimoh Yadav	Sant Kabir Nagar (earlier posted in Jasrana- Firozabad)	06.12.2019

1	2	3	4
	(Sri/Smt./Ms.)–		
6	Garima Saxena	Agra (earlier posted in Lalitpur)	18.11.2019
7	Sumit Kumar-III	Kanpur Nagar (earlier posted in Kaushambi)	15.11.2019
8	Ajeet Kumar Mishra	Sant Kabir Nagar	29.09.2020
9	Shailesh Kumar Singh	Mau	29.06.2020
10	Atul	Lalitpur	08.01.2020
11	Anil Kumar Chaudhary	Nanpara-Bahraich (earlier posted in Sultanpur)	22.01.2020
12	Manoj Kumar Bhaskar	Prayagraj (earlier posted in Fatehpur)	01.01.2020
13	Javed Khan	LARRA, Agra	22.01.2020
14	Neha Chaudhary-II	Hapur	11.02.2020
15	Jyotsna Nagvanshi	Barabanki	04.07.2020
16	Anuradha	Shahjahanpur (earlier posted in Allahabad)	03.02.2020
17	Swati Wnna-II .	Bareilly	26.06.2020
18	Mitali Sonkar	Sadabad-Hathras (earlier posted in Ghazipur)	20.01.2020
19	Abhilasha	Bulandshahar	01.01.2020
20	Kunal Kulbhaskar	Laharpur-Sitapur (earlier posted in Mainpuri)	01.01.2020
21	Abhishek Kumar-1V	Allahabad	09.06.2020
22	Sunil Gupta	Jakhaniya-Ghazipur	09.06.2020
23	Abha	Allahabad	09.06.2020
24	Virendra Pratap Singh	Jaunpur	11.06.2020
25	Pooja Sharma	Bijnor	11.01.2021
26	Rajan Rathee	Baghpat	11.01.2021
27	Ankush Srivastava	Bahraich	11.01.2021
28	Sanghmitra	Chitrakoot	15.01.2021
29	Mikky Singh	Kaushambi (earlier posted in Hathras)	11.01.2021
30	Shikhar Agarwal	Lakhimpur Kheri	24.03.2021

By order of the Court,
Rajeev Bharti,
Registrar General.

वाराणसी के आयुक्त की आज्ञायें

04 जुलाई, 2022 ई0

सं0 3042/8-7(2021-2023)रा0स0–उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 के प्रस्तर-4 (1) (ग) में किये गये प्राविधान तथा उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4(1) (ज), (झ), (ट) व (ड) एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-59 की उपधारा-(2) में दी गई व्यवस्थानुसार, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-28/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-818/नौ-5-19-56सा/2018, दिनांक 07 मार्च, 2019 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन मैं दीपक अग्रवाल, आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित गांव सभा में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	ग्राम सभा का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण, प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							हेक्टेयर		
1	गाजीपुर	गाजीपुर	पचोतर	महेंगवा	महेंगवा	651	1.1200	नई परती	132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु
						652	0.2200		
						योग . .	1.3400		

सं0 3043/8-6(2021-2023)रा0स0–उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 के प्रस्तर-4(1) (ग) में किये गये प्राविधान तथा उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4(1) (ज), (झ), (ट) व (ड) एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-59 की उपधारा-(2) में दी गई व्यवस्थानुसार, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-28/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-818/नौ-5-19-56सा/2018, दिनांक 07 मार्च, 2019 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन मैं दीपक अग्रवाल, आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित गांव सभा में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	ग्राम सभा का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण, प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							हेक्टेयर		
1	गाजीपुर	गाजीपुर	गाजीपुर	चौकिया	चौकिया	381	0.506 में से 0.404	5–3–ड़ / दीगर बंजर	जनपद में 50 शैय्यायुक्त राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के निर्माण हेतु

दीपक अग्रवाल,
आयुक्त,
वाराणसी मण्डल,
वाराणसी।

मेरठ के जिलाधिकारी की आज्ञायें

भूलेख-अनुभाग

अधिसूचना

21 फरवरी, 2023 ई0

सं0 550 / सात-डी0एल0आर0सी0 / 2023–उप जिलाधिकारी, मेरठ की आख्या दिनांक 02 जनवरी, 2023 में की गयी संस्तुति के क्रम में, शासनादेश संख्या 744 / एक-1 / 2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 688 / एक-1-2020-20(5) / 2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, दीपक मीणा, जिलाधिकारी मेरठ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो अब तक ग्राम पंचायत / स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, का श्रेणी परिवर्तन करते हुए फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा डेडी केटेड फ्रेट कॉरीडोर रेल परियोजना हेतु लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर रखता हूँ–

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
मेरठ	मेरठ	मेरठ	महीउद्दीनपुर	498	0.0036	नाली	ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर परियोजना हेतु
				464	0.0040	चकमार्ग	
				473	0.0038	नाली	
				476	0.0070	चकमार्ग	
				योग . .	**0.0184**		

1–ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है तथा इस हेतु श्रेणी परिवर्तन/पुनर्ग्रहण अपरिहार्य स्थितियों में किया जा रहा है। संस्था से पुनर्ग्रहण हेतु धनराशि अंकन रु0 14,35,200/– एवं अंकन रु0 69.00 निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

2–उक्त पुनर्ग्रहण के पश्चात ग्रामवासियों के सुविधाजनक उपयोग की वैकल्पिक व्यवस्था संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

3–प्रश्नगत भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

सं0 551/सात-डी0एल0आर0सी0/2023–उप जिलाधिकारी, मेरठ की आख्या दिनांक 02 जनवरी, 2023 में की गयी संस्तुति के क्रम में, शासनादेश संख्या 744/एक-1/2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, दीपक मीणा, जिलाधिकारी मेरठ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो अब तक ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, का श्रेणी परिवर्तन करते हुए फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर रेल परियोजना हेतु लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर रखता हूँ–

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
मेरठ	मेरठ	मेरठ	छजमलपुर उर्फ छज्जूपुर	708	0.0067	नाली / श्रेणी 6(1)	ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर परियोजना हेतु
				694	0.0015	नाली / श्रेणी 6(1)	
				693	0.0034	चकमार्ग / श्रेणी 6(2)	
				397	0.0055	नाली / श्रेणी 6(1)	
				340	0.0061	नाली / श्रेणी 6(1)	
				298	0.0113	नाली / श्रेणी 6(1)	
				296	0.0038	नाली / श्रेणी 6(1)	
				301	0.0045	चकमार्ग / श्रेणी 6(2)	
				302	0.0022	नाली / श्रेणी 6(1)	
				योग . .	**0.0450**		

1–ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है तथा इस हेतु श्रेणी परिवर्तन / पुनर्ग्रहण अपरिहार्य स्थितियों में किया जा रहा है। संस्था से पुनर्ग्रहण हेतु धनराशि अंकन रु0 16,56,000 / – एवं अंकन रु0 168.75 निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

2–उक्त पुनर्ग्रहण के पश्चात ग्रामवासियों के सुविधाजनक उपयोग की वैकल्पिक व्यवस्था संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

3–प्रश्नगत भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

16 मार्च, 2023 ई0

सं0 631 / सात-डी0एल0आर0सी0 / पुर्न0 / 2023–शासनादेश संख्या 744 / एक-1 / 2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति

का प्रयोग करके तथा 740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी प्रयोक्तव्य शक्तियों को उपयोग करते हुए, मैं, दीपक मीणा, जिलाधिकारी मेरठ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा उप जिलाधिकारी मवाना द्वारा उपलब्ध कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 21 जनवरी, 2023 के क्रम में, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत एम0आर0एफ0 सेन्टर के निर्माण हेतु नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर रखता हूँ–

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	वीरखेडा	368	0.2110	नवीन परती	नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निवर्तन पर रखते हुए एम0आर0एफ0 सेन्टर की स्थापना हेतु।

29 मार्च, 2023 ई0

सं0 719/सात-डी0एल0आर0सी0/2023–उप जिलाधिकारी, मेरठ की आख्या दिनांक 02 जनवरी, 2023 में की गयी संस्तुति के क्रम में, शासनादेश संख्या संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में प्रत्यायोजित उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-77(2) एवं धारा-101(2) के परन्तुक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीपक मीणा जिलाधिकारी मेरठ पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर परियोजना के संरेखण में आ रही ग्राम सोहरका, तहसील व जिला मेरठ स्थित ग्राम समाज एवं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के स्वामित्व की निम्न तालिका में अंकित भूमियों का श्रेणी परिवर्तन एवं विनिमय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करता हूँ–

अनुसूची

ग्राम समाज की परियोजना के संरेखण में आ रही भूमियों का विवरण				डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 के स्वामित्व की विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि			
ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी	ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी
1	2	3	4	1	2	3	4
		हेक्टेयर				हेक्टेयर	
सोहरका	197	0.0140	चकमार्ग	सोहरका	216	0.0075	1(क)
	199	0.0208	चकमार्ग		218	0.0125	
	236	0.0194	चकमार्ग		220	0.0250	
	235	0.0094	नाली		214	0.0116	
	योग . .	**0.0636**			203	0.0093	

1	2	3	4	1	2	3	4
						हेक्टेयर	
				सोहरका	234	0.0083	
					237	0.0058	
					योग . .	**0.0800**	

1–ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है तथा इस हेतु श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य स्थितियों में किया जा रहा है। संस्था से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क अंकन रु0 1,54,230/– के रूप में निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

2–प्रश्नगत भूमियों पर यदि कोई जन शिकायत अथवा वाद लम्बित हो तो उसके निस्तारण पश्चात ही भूमियों के विनिमय संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

3–उक्त पुनर्ग्रहण के पश्चात ग्रामवासियों के सुविधाजनक आवागमन की वैकल्पिक व्यवस्था संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

सं0 720/सात-डी0एल0आर0सी0/2023–उप जिलाधिकारी, मेरठ की आख्या दिनांक 02 जनवरी, 2023 मे की गयी संस्तुति के क्रम में, शासनादेश संख्या संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में प्रत्यायोजित उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-77(2) एवं धारा-101(2) के परन्तुक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीपक मीणा जिलाधिकारी मेरठ पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर परियोजना के संरेखण में आ रही ग्राम महीउद्दीनपुर, तहसील व जिला मेरठ स्थित ग्राम समाज एवं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के स्वामित्व की निम्न तालिका में अंकित भूमियों का श्रेणी परिवर्तन एवं विनिमय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करता हूँ–

अनुसूची

ग्राम समाज की परियोजना के संरेखण में आ रही भूमियों का विवरण				डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 के स्वामित्व की विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि			
ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी	ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी
1	2	3	4	1	2	3	4
		हेक्टेयर				हेक्टेयर	
महीउद्दीनपुर	499	0.0273	चकमार्ग	महीउद्दीनपुर	488	0.0058	1(क)
					491	0.0270	
					492	0.0140	
					योग . .	**0.0468**	

1–ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है तथा इस हेतु श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य स्थितियों में किया जा रहा है। संस्था से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क अंकन रु0 1,33,087.50 (एक लाख तैंतीस हजार सत्तासी रुपये पचास पैसे) के रूप में निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

2–प्रश्नगत भूमियों पर यदि कोई जन शिकायत अथवा वाद लम्बित हो तो उसके निस्तारण पश्चात ही भूमियों के विनिमय संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

3–उक्त विनिमय के पश्चात ग्रामवासियों के सुविधाजनक आवागमन की वैकल्पिक व्यवस्था संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

08 जून, 2023 ई0

सं0 962/सात-डी0एल0आर0सी0/पुर्न/2023–शासनादेश संख्या 744/एक-1/2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा 741/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी प्रयोक्तव्य शक्तियों को उपयोग करते हुए, मैं, दीपक मीणा, जिलाधिकारी मेरठ निम्न अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा उप जिलाधिकारी मवाना द्वारा उपलब्ध कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 27 मई, 2023 के आधार पर अनुसूची के अनुसार उल्लिखित भूमि, शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी व्यवस्थानुसार 01 रुपये प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य दर पर 30 वर्ष के पट्टे पर प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिए, मेरठ के पक्ष में निम्न शर्तों के अधीन आवंटित की जाती है–

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
मेरठ	मवाना	किठौर	लालपुर	82	0.1810	5-1 बंजर	33/11 के0वी0 क्षमता के उपकेन्द्र हेतु

1–प्रस्तावित भूमि का उपयोग विहित उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

2–निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग करने पर पट्टा निरस्त समझा जायेगा तथा भूमि पुनः ग्राम सभा/स्थानीय प्राधिकरण में निहित समझी जायेगी।

3–पट्टेदार को भूमि की आवश्यकता न होने पर उसे संबंधित को वापस कर दिया जायेगा।

4–प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन को बेचने, पट्टे पर देने अथवा किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण करने अथवा व्यवस्थित करने का अधिकारी पट्टेदार को नहीं होगा।

5–प्रश्नगत भूमि 30 वर्ष के लिये पट्टे पर दी जायेगी, जिसे बाद में 30-30 वर्ष पर प्रशासनिक विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उनके अनुरोधानुसार 30-30 वर्ष हेतु पट्टा नवीनीकृत कराया जा सकेगा, लेकिन पट्टे की समेकित अवधि 90 वर्षों से अधिक नहीं,होगी।

6–भूमि के सांकेतिक मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया जमा कराया जायेगा। वार्षिक किराया प्रतिवर्ष देय होगा।

7–उपर्युक्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन उप जिलाधिकारी मवाना द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

दीपक मीणा,

जिलाधिकारी,

मेरठ।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश

प्रारूप-19

[नियम-27 का उपनियम (1)]

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 389/आठ-वि0भू0अ0अ0/मुरादाबाद/2023–उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0 अभि0 मध्य गंगा निर्माण खण्ड–15, मुरादाबाद के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) के अर्न्तगत जनेटा माइनर के निर्माण हेतु जनपद मुरादाबाद, तहसील बिलारी, परगना जरगांव, ग्राम नरूददीनपुर उर्फ गंज में कुल 0.0784 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा–(1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या ..... दिनांक ..... को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक ..... को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेट कलेक्टर ..... को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा–19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निदेश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जनपद मुरादाबाद तहसील बिलारी परगना जरगांव ग्राम नरूददीनपुर उर्फ गंज की 0.0784 हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिहिन्त किया गया है।

राज्यपाल अग्रेत्तर निदेश देते है कि अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु ..... कलेक्टर को निर्देशित करते है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची–क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
मुरादाबाद	बिलारी	जरगांव	नरूददीनपुर उर्फ गंज	501	0.0784

अनुसूची–ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिहिन्त भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6

–विस्थापित परिवारो की संख्या ''शून्य''–

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा मुरादाबाद के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,

मुरादाबाद।

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH

FORM-19

[Sub-rule (1) of rule 27]

DECLARATION BY APPROPRIATE GOVERMENT/COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 19 OF THE ACT]

NOTIFICATION

November 23, 2023

No. 389/VIII-S.L.A.O./Moradabad/2023–Whereas preliminary notification no. ..... dated ..... was issued under sub section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilition and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.0784 Hectares of land in Village-Nuruddinpur *urf* Ganj, Pargana-Jargaon, Tehsil-Bilari, District-Moradabad is required for the public purpose, namely, MGC Stage-II through Madhya Ganga Canal Construction Division-15 Moradabad (name of requiring body) and lastly published on dated ..... The Deputy Collector/Assistant Collector ..... was appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, The Governor is pleased to declare under section 19(1) of the act that he is satisfied that the area of land mentioned in the given schedule "A" is needed for the public purpose and the land to the extent of ..... hectares in Village-Jatpura Bagan Pargana-Jargaon, Tehsil-Bilari, District-Moradabad as given schedule "B" has been identified as the rehabilitation and resettlement area for the purpose of rehabilitation and resettlement of the displaced families.

The Governor is further pleased under sub section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of ..... to publish a summary of the rehabilitation and resettlement scheme with publication of declaration to this effect. The summary of the rehabilitation and resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A

(Land under proposed acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Moradabad	Bilari	Jargaon	Nuruddinpur *urf* Ganj	501	0.0784

SCHEDULE-B

(Land identified as settlement area for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area
1	2	3	4	5	6
					Hectares
			Nil		

NOTE: A plan of the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd*.) ILLIGIBLE,
Secretary/Authorised Officer,
Moradabad.

प्रारूप-19

[नियम-27 का उपनियम (1)]

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 390/आठ-वि0भू0अ0अ0/मुरादाबाद/2023–उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0 अभि0 मध्य गंगा निर्माण खण्ड–15, मुरादाबाद के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) के अर्न्तगत प्रहलादपुर राजवाहे एवं खेड़ा अल्पिका के निर्माण हेतु जनपद मुरादाबाद तहसील बिलारी परगना जरगांव ग्राम सरथल में कुल 0.1493 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा–(1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या ..... दिनांक ..... को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक ..... को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेट कलेक्टर ..... को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा–19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निदेश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जनपद मुरादाबाद तहसील बिलारी परगना जरगांव ग्राम सरथल की 0.1493 हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिहिन्त किया गया है।

राज्यपाल अग्रेत्तर निदेश देते है कि अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु ..... कलेक्टर को निर्देशित करते है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची–क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
मुरादाबाद	बिलारी	जरगांव	सरथल	119	0.0784
				729	0.0240
				1152	0.0469
				योग–	**0.1493**

अनुसूची–ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिहिन्त भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
––––––––––विस्थापित परिवारो की संख्या ''शून्य''––––––––––					

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा मुरादाबाद के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,

मुरादाबाद।

FORM-19

[Sub-rule (1) of rule 27]

DECLARATION BY APPROPRIATE GOVERMENT/COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 19 OF THE ACT]

NOTIFICATION

November 23, 2023

No. 390/VIII-S.L.A.O./Moradabad/2023–Whereas preliminary notification no. ..... dated ..... was issued under sub section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilition and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.1493 Hectares of land in Village-Sarthal, Pargana-Jargaon, Tehsil-Bilari, District-Moradabad is required for the public purpose, namely, MGC Stage-II through Madhya Ganga Canal Construction Division-15 Moradabad (name of requiring

body) and lastly published on dated ..... The Deputy Collector/Assistant Collector ..... was appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, The Governor is pleased to declare under section 19(1) of the act that he is satisfied that the area of land mentioned in the given schedule "A" is needed for the public purpose and the land to the extent of ..... hectares in Village-Sarthal, Pargana-Jargaon, Tehsil-Bilari, District-Moradabad as given schedule "B" has been identified as the rehabilitation and resettlement area for the purpose of rehabilitation and resettlement of the displaced families.

The Governor is further pleased under sub section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of ..... to publish a summary of the rehabilitation and resettlement scheme with publication of declaration to this effect. The summary of the rehabilitation and resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A

(Land under proposed acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Moradabad	Bilari	Jargaon	Sarthal	119	0.0784
				729	0.0240
				1152	0.0469
				Total . .	**0.1493**

SCHEDULE-B

(Land identified as settlement area for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area
1	2	3	4	5	6
					Hectares
			Nil		

NOTE: A plan of the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd*.) ILLIGIBLE,

Secretary/Authorised Officer,

Moradabad.

कार्यालय, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (संयुक्त संगठन), अमरोहा

शुद्धि-पत्र

उत्तर प्रदेश राजकीय गजट दिनांक 21 अक्टूबर, 2023 ई0 (आश्विन 29, 1945 शक संवत्) के संस्करण में भाग–1क अंग्रेजी खण्ड में प्रकाशित FORM-19 (sub rule (1) of rule 27) (under sub-section (1) of section-19 of the Act) Notification में पृष्ठ संख्या 1445 पर Plot Number 315 के सम्मुख Plot Number 319 छप गया है।

अतः Plot Number 319 के सम्मुख Plot Number 315 पढ़ा जाये।

(ह0) अस्पष्ट,
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
(संयुक्त संगठन), अमरोहा।

पी0एस0यू0पी0–38 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 16 दिसम्बर, 2023 ई० (अग्रहायण 25, 1945 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्

(भूमि अर्जन अनुभाग)

अधिनियम, 1965 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-1, 1966)

की धारा-28 के अधीन

नोटिस

17 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 974/एल0ए0सी0/एच0क्यू0–उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा वाराणसी नगर की बढती हुई आवासीय समस्या के निराकरण हेतु ''काशीद्वार भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना, वाराणसी'' अधिसूचित की गयी है। योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाएं निम्न प्रकार हैं–

उत्तर–खसरा संख्या–1345, 1346, 1347 एवं 1348 ग्राम–बेलवा, परगना–कोल असला, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी। राष्ट्रीय राजमार्ग–31 (खसरा संख्या–1349 भाग, 1351 भाग, 1353 भाग, 1354 भाग, 1357 भाग, 1356 भाग एवं 1377 भाग ग्राम–बेलवा, परगना–कोल असला, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी। खसरा संख्या–1542 भाग, 1519 भाग, 1525 भाग, 1527 भाग, 1528 भाग एवं 1542 भाग ग्राम–पिण्डराई, परगना–कोलअसला, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी। खसरा संख्या–1395 भाग, 1406 भाग, 1396 भाग, 1428 भाग, 1437 भाग, 1436 भाग, 1435 भाग, 1432 भाग, 1431 भाग, 1430 भाग, 1443 भाग, 1449 भाग,

1450 भाग, 1467 भाग, 1468 भाग एवं 1469 भाग, KD-7 भाग ग्राम–बेलवा, परगना–कोलअसला, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी। खसरा संख्या–3816 भाग, 3815 भाग, 3829 भाग, 3827 भाग, 3828 भाग, 3836 भाग, 3838 भाग, 3839 भाग, 3841 भाग, 3845 भाग, 3843 भाग, 3846 भाग, 3847 भाग, 3849 भाग एवं 3851 भाग, ग्राम–पिण्डरा, परगना–कोलअसला, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी।) खसरा संख्या–3814, 3855, 3787 भाग, 3572, 3538 भाग, 3489, 3413, 3484, 3487, 3493 भाग, 3500, 3501, 3477, 3517, KD-8, 3532 भाग, 3161, 3156, 3155, 3620, 3755 भाग, 3036 भाग एवं 3675 भाग ग्राम–पिण्डरा, परगना–कोलअसला, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी।) खसरा संख्या–816 भाग, 787, 786, 781, 769 भाग, 685, 747, 749 भाग एवं 748 भाग, ग्राम–समोगरा, परगना–कोलअसला, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी। खसरा संख्या–149 ग्राम–कैथोली, परगना–कोलअसला, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी।

पूरब–खसरा संख्या–401, 400, 392, 393, 418 भाग, 420, 361, 360, 359, 354, 357, 358, 356, 355, 352, 375, 376, 377, 379, 380, 381, 388, 348, 347, 342, 346, 345, 473, 474, 475, 489, 490, 496, 495, 509, 549 एवं 548 ग्राम–कैथोली, परगना–कोलअसला, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी। खसरा संख्या–927, 130, 128, 104, 107, 108, 109, 110, 127 एवं 218 ग्राम–पुरारघुनाथपुर, परगना–कोलअसला, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी।

दक्षिण–खसरा संख्या–224, 225, 226, 227, 227/1801, 75 भाग, 37, 35, 34, 33, 32, 31 एंव 29 भाग ग्राम–पुरारघुनाथपुर, परगना–कोलअसला, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी। खसरा संख्या–524, 510, 514 भाग, 515 भाग, 479 भाग, 67, 69 भाग, 143 एंव 129 भाग ग्राम–बसनी, परगना–कोलअसला, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी। खसरा संख्या–133, 131, 130, 128, 127 एवं 125 ग्राम–जद्दूपुर, परगना–कोलअसला, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी। खसरा संख्या–505, 502, 501, 520, 521, 138 भाग, 204, 203, 202, 199, 198, 197, 226, 184, 181, 180, 179, 178 भाग, 297, 303, 302 भाग, 306 एवं 307 ग्राम–बहुतरा, परगना–कोलअसला, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी। खसरा संख्या–1678 भाग ग्राम–बेलवा, परगना–कोलअसला, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी।

पश्चिम–खसरा संख्या–1679, 1683, 1596, 1263 भाग, 1501, 1513 भाग, 1499, 1385 एवं 1338 ग्राम–बेलवा, परगना–कोलअसला, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी।

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र, कार्यालय आवास आयुक्त, (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड वाराणसी–02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी में किसी भी कार्य दिवस में पूर्वाहन 11:00 से अपराहन 3:00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

योजना क्षेत्र में स्थित निर्माणों के भू-स्वामियों पर उ0प्र आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के प्राविधानों के अनुसार बेटरमेन्ट फी/विकास शुल्क भी अधिभारित होगा।

योजना के विपरीत आपत्तियों को इस नोटिस के प्रथम बार उ0प्र0 गजट में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अुनभाग) उ0प्र आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गॉधी मार्ग,

लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड वाराणसी–02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी में प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन/ग्राम का नाम/खसरा नम्बर/भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए।

रणवीर प्रसाद,
आवास आयुक्त।

UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHAD

[LAND ACQUISITION SECTION]

NOTICE

(Notice under section 28 of the LLP. Avas EvamVikas Parishad,

Adhiniyam, 1965 U.P.Ad. No. 1, 1966)

November 17, 2023

No. 974/L.A.C./H.Q.--The U.P. Avas Evam Vikas Parishad has framed a scheme, called "Kashidwar Land Development, Housing and Market Planning, Varanasi" to solve the housing problem of the Varanasi City. The boundaries of the comprised area in the scheme are as follows:

North-Khasra no. 1345, 1346, 1347 and 1348 Village-Belwan, Pargana- Kolsala, Tehsil-Pindra, District-Varanasi. National Highway-31 (Khasra no. 1349 Part, 1351 Part, 1353 Part, 1354 Part, 1357 Part, 1356 Part and 1377 Part Village-Belwan, Pargana- Kolsala, Tehsil-Pindra, District-Varanasi. Khasra no. 1542 Part, 1519 Part, 1525 Part, 1527 Part, 1528 Part and 1542 Part Village-Pindrai, Pargana-Kolsala, Tehsil-Pindra, District-Varanasi. Khasra no. 1395 Part, 1406 Part, 1396 Part, 1428 Part, 1437 Part, 1436 Part, 1435 Part, 1432 Part, 1431 Part, 1430 Part, 1443 Part, 1449 Part, 1450 Part, 1467 Part, 1468 Part, 1469 Part and KD7 Part Village-Belwan, Pargana-Kolsala, Tehsil-Pindra, District-Varanasi. Khasra no. 3816 Part, 3815 Part, 3829 Part, 3827 Part, 3828 Part, 3836 Part, 3838 Part, 3839 Part, 3841 Part, 3845 Part, 3843 Part, 3846 Part, 3847 Part, 3849 Part and 3851 Part Village-Pindra, Pargana- Kolsala, Tehsil-Pindra, District-Varanasi), Khasra no. 3814, 3855, 3787 Part, 3572, 3538 Part, 3489, 3413, 3484, 3487, 3493 Part, 3500, 3501, 3477, 3517, KD8, 3532 Part, 3161, 3156, 3155, 3620, 3755 Part, 3036 Part and 3675 Part Village-Pindra, Pargana- Kolsala, Tehsil-Pindra, District-Varanasi. Khasra no. 816 Part, 787, 786, 781, 769 Part, 685,

747, 749 Part and 748 Part Village-Samogra, Pargana-Kolsala, Tehsil-Pindra, District-Varanasi. Khasra no. 149 Village-Kaitholi, Pargana-Kolsala, Tehsil-Pindra, District-Varanasi.

East-Khasra no. 401, 400, 392, 393, 418 Part, 420, 361, 360, 359, 354, 357, 358, 356, 355, 352, 375, 376, 377, 379, 380, 381, 388, 348, 347, 342, 346, 345, 473, 474, 475, 489, 490, 496, 495, 509, 549 and 548 Village-Kaitholi, Pargana-Kolsala, Tehsil-Pindra, District-Varanasi. Khasra no.927, 130, 128, 104, 107, 108, 109, 110, 127 and 218 Village-Puraraghunathpur, Pargana- Kolsala, Tehsil-Pindra, District-Varanasi.

South-Khasra no. 224, 225, 226, 227, 227/1801, 75 Part, 37, 35, 34, 33, 32, 31 and 29 Part Village-Puraraghunathpur, Pargana-Kolsala, Tehsil-Pindra, District-Varanasi. Khasra No. 524, 510, 514 Part, 515 Part, 479 Part, 67, 69 Part, 143 and 129 Part Village-Basni, Pargana-Kolsala, Tehsil-Pindra, District-Varanasi. Khasra no. 133, 131, 130, 128, 127 and 125 Village-Jaddupur, Pargana-Kolsala, Tehsil-Pindra, District-Varanasi. Khasra no. 505, 502, 501, 520, 521, 138 Part, 204, 203, 202, 199, 198, 197, 226, 184, 181, 180, 179, 178 Part, 297, 303, 302 Part, 306 and 307 Village-Bahutra, Pargana-Kolsala, Tehsil-Pindra, District-Varanasi. Khasra no. 1678 Part Village-Belwan, Pargana-Kolsala, Tehsil-Pindra, District-Varanasi.

West-Khasra no.1679, 1683, 1596, 1263 Part, 1501, 1513 Part, 1499, 1385 and 1338 Village-Belwan, Pargana-Kolsala, Tehsil-Pindra, District-Varanasi.

The details of land, falling under the scheme and map can be seen in the Office of Housing Commissioner (Land Acquisition Section), U.P. Avas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the Office of Executive Engineer, Construction Division Varanasi-02, U.P. Avas Evam Vikas Parishad, Office cum Shopping Complex, Second Floor, Jawahar Nagar, Bhelupur, Varanasi on any working day between 11:00 a.m. to 3:00 p.m.

Land owners will be liable to pay Betterment fee/ Development charges of their situated structures in the scheme according to requisite provisions of U.P. Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965.

Objections against the scheme shall be received at the Office of Housing Commissioner (Land Acquisition Section), U.P. Avas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the Office of Executive Engineer, Construction Division Varanasi-02, U. P. Avas Evam Vikas Parishad, Office cum Shopping Complex, Second Floor, Jawahar Nagar, Bhelupur, Varanasi within 30 days from the first publication in Uttar Pradesh, Gazette of this notice. After passing the due date, no objection shall be considered. In the objection to be submitted, the correct name of the scheme and the Land/ Building/ Village Name/ Khasra Number/Area of the land and all other details of the objector included in the scheme should be clearly mentioned.

RANVIR PRASAD,
Housing Commissioner.

कार्यालय, नगर पंचायत, ओरन (बाँदा)

30 सितम्बर, 2023

सं0 419/न0पं0ओरन/2023-24–उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत ओरन, जनपद बांदा अपनी बैठक संकल्प संख्या-03 दिनांक 12 फरवरी, 2018 प्रस्ताव संख्या-02 तथा बैठक संकल्प संख्या 04, दिनांक 16 सितम्बर, 2023 प्रस्ताव संख्या–05(1) के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा में ''विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2020'' बनाई जाती है। नियमावली की धारा 301 के अन्तर्गत दैनिक समाचार-पत्र ''दैनिक अमर उजाला'' दिनांक 21 जनवरी, 2020 एवं ''दैनिक नवकर्मयुग प्रकाशन'' दिनांक 20 जनवरी, 2020 में प्रकाशन कराकर किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे कि यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत ओरन, जनपद बांदा के कार्यालय में प्रकाशन की तिथि के 15 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है, जिसका नियमानुसार निस्तारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जायेगा परन्तु 15 दिन के बाद प्राप्त आपत्तियों व सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त न होने की दशा में निम्नवत् उपविधि राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2020

शासनादेश संख्या 2399/नौ-9-94-204 (जनरल)/90 दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 के अनुपालन में उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–298 जो नगर पंचायत ओरन पर प्रवृत्त है, के अन्तर्गत नगर पंचायत ओरन, जनपद बांदा में विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2020 कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नवत् है–

1–संक्षिप्त नाम प्रकार एवं प्रारम्भ–

(1) यह उपविधि ''विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2020'' कहलायेगी।

(2) यह नगर पंचायत ओरन, जनपद–बांदा की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(3) यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत ओरन, जनपद-बांदा में प्रभावी होगी।

2–परिभाषायें–

उपरोक्त नियमावली में विषय या प्रयोग में कोई शर्त प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में उल्लिखित शब्द का अर्थ यह पढ़ा व समझा जायेगा–

(1) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(2) ''नगर पंचायत'' का तात्पर्य नगर पंचायत ओरन, जनपद–बांदा से है।

(3) ''अध्यक्ष/प्रशासक'' का ताप्तर्य नगर पंचायत ओरन, जनपद-बांदा के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(4) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत ओरन, जनपद-बांदा के अधिशासी अधिकारी से है।

(5) ''लाइसेंसिंग अधिकारी'' से तात्पर्य नगर पंचायत ओरन, बांदा के अधिशासी अधिकारी से है।

(6) ''कर अधीक्षक/राजस्व निरीक्षक'' का तात्पर्य नगर पंचायत ओरन, बांदा के कर अधीक्षक/राजस्व निरीक्षक से है।

3–विधिक कर शुल्क की दरें–

(1) अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण/नामान्तरण पर शुल्क–

(क) वरासतन/रजिस्टर्ड वसीयत/न्यायालय निर्णय/रजिस्टर्ड हिबानाम के आधार पर नामान्तरण शुल्क रु0 1,000.00

(ख) रु0 01 से 49,999 बाजारू मालियत बैनामा नामान्तरण शुल्क रु0 100.00।

(ग) रु0 50,000 से 99,999 बाजारू मालियत नामान्तरण शुल्क रु0 200.00।

(घ) रु0 1,00,000 से 2,99,999 बाजारू मालियत नामान्तरण शुल्क रु0 300.00।

(ड.) रु0 3,00,000 से 4,99,999 बाजारू मालियत नामान्तरण शुल्क रु0 500.00।

(च) रु0 5,00,000 से 9,99,999 बाजारू मालियत नामान्तरण शुल्क रु0 1,000.00।

(छ) रु0 10,00,000 से 14,99,999 बाजारू मालियत नामान्तरण शुल्क रु0 2,000.00।

(ज) रु0 15,00,000 से 19,99,999 बाजारू मालियत नामान्तरण शुल्क रु0 8,000.00।

(झ) रु0 20,00,000 से अधिक बाजारू मालियत नामान्तरण शुल्क रु0 10,000.00।

उपरोक्त समस्त प्रकरणों में तत्काल नामान्तरण करना आवयक होगा अन्यथा की स्थिति में रु0 100.00 प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगा।

4–सड़क, नाला, नाली या सार्वजनिक जगह पर गन्दगी फैलाने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 10.00 प्रति प्रकरण।

5–सड़क, नाला, नाली या सार्वजनिक जगह पर गन्दगी फैलाने की पुनरावृत्ति करने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 10.00 प्रति प्रकरण।

6–डोर-टू डोर कूड़ा कलेक्शन हेतु शुल्क रु0 10.00 प्रति माह (प्रति भवन)

7–नगर सीमान्तर्गत खुले में शौंच करते पाये जाने पर शुल्क रु0 10.00 प्रति व्यक्ति।

8–सड़क के किनारे (पटरी एवं नाली पर) जानवर बांधने एवं अतिक्रमण करने पर रु0 500.00 जुर्माना प्रति प्रकरण।

पुनरावृत्ति करने पर सम्बन्धित के खिलाफ एफ0आई0आर0 की जायेगी।

9–सड़क के किनारे मौरंग, बालू, ईंट भवन सामाग्री पाये जाने पर, नालियों के ऊपर अतिक्रमण, सड़क के किनारे अवैध गुमटी, खोखा इत्यादि व सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकानों का सामान फैलाने पर शुल्क रु0500.00 प्रति दिन, प्रति प्रकरण 20 वर्ग फुट तक, 20 वर्ग फुट से अधिक होने पर रु01,000.00 प्रतिदिन प्रति प्रकरण देय होगा।

10–जे0सी0बी0 मशीन व्यक्तिगत उपयोग हेतु किराया शुल्क रु0 1,000.00 प्रति घण्टा।

11–नगर पंचायत के मोबाइल टॉयलेट किराया शुल्क रु0 1,000.00 प्रति दिन (08 घण्टे हेतु)।

12–नगर पंचायत सीमान्तर्गत स्थित रेस्टोरेन्ट/ढाबा पर व्यवसायिक शुल्क रु0 1,500.00 वार्षिक।

13–नगर पंचायत सीमा में स्थित पेट्रोल पम्प पर व्यवसायिक शुल्क रु0 12,000.00 वार्षिक।

14–नगर पंचायत सीमा में स्थित कोचिंग संस्थानों पर व्यवसाायिक शुल्क रु0 1,200.00 वार्षिक।

15–नगर पंचायत सीमा में व्यवसाय करने वाले गेस्ट हाउस/विवाह घर/पैलेस आदि पर व्यवसायिक शुल्क रु06,000.00 वार्षिक।

16–पैलेस/विवाह घर/गेस्ट हाउस पर स्वच्छता शुल्क रु0 500.00 प्रति कार्यक्रम। नगर पंचायत को सूचना न देने पर कचड़ा इधर–उधर फेंकने पर रु0 1,000.00 का जुर्माना देय होगा। पुनरावृत्ति पर रु0 2,000.00 जुर्माना देय होगा।

17–नगर पंचायत के सीमा के अन्दर रोड़ कटिंग हेतु नगर पंचायत से अनुमति लेना अनिवार्य होगा, जिसका शुल्क रु0 1,000.00 प्रति रोड़ कटिंग होगा।

18–नगर पंचायत दुकानों की किरायेदारी में नाम परिवर्तन निम्न प्रकार से किया जायेगा।

(क) विरासतन (मूल आवंटी की मृत्यु के उपरान्त उसके विधिक उत्तराधिकारी) सरकारी मूल्य का 25% प्रीमियम धनराशि जमा करना होगा तथा 90 दिन के अन्दर नाम परिवर्तन कराना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में रु0 500.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा एवं वर्तमान किराये में की 50% वृद्धि अनिवार्य होगी।

(ख) नगर पंचायत दुकानों की किरायेदारी में प्रति 03 वर्ष में 12.5% की वृद्धि की जायेगी।

(ग) नगर पंचायत दुकानों के निर्माण/पुनः निर्माण में पूर्व आकार में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। सुपर वीजन शुल्क नगर पंचायत कोष में रु0 25,000.00 जमा करने के उपरान्त नगर पंचायत द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी तथा किराये में 50% की वृद्धि की जायेगी।

19—नगर पंचायत सीमा में स्थापित टॉवरों पर व्यवसायिक शुल्क रु0 24,000.00 वार्षिक।

20—नगर पंचायत सीमान्तर्गत श्वान/कुत्ता पालकों को नगर पंचायत ओरन, बांदा के कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य है, पंजीकरण शुल्क रु0 100.00 प्रतिवर्ष प्रति श्वान/कुत्ता।

21—सड़क के किनारे (पटरी एवं नाली पर) जानवर बांधने एवं अतिक्रमण करने पर रु0 500.00 जुर्माना प्रति प्रकरण। पुनरावृत्ति करने पर सम्बन्धित के खिलाफ एफ0आई0आर0 की जायेगी।

22—कान्हा गौशाला/कांजी हाउस में रखे जाने वाले छोटे जानवर का खुराकी रु0 50.00 प्रतिदिन प्रति जानवर।

23—कान्हा गौशाला/कांजी हाउस में रखे जाने वाले बड़े जानवर का खुराकी रु0 100.00 प्रतिदिन प्रति जानवर।

24— कान्हा गौशाला/कांजी हाउस में बंद किये गये निजी पशु पालकों के गोवंश/जानवर छुड़ाने पर रु0 500.00 प्रति गोवंश/जानवर जुर्माना/शुल्क देय होगा।

25— नगर पंचायत सीमा में अधिष्ठापित बिजली ट्रांसफार्मर पर शुल्क रु0 1,000.00 वार्षिक प्रति ट्रांसफार्मर।

26—नगर पंचायत सीमा में अधिष्ठापित बिजली के पावर हाउस/सबस्टेशन पर शुल्क रु0 10,000.00 वार्षिक।

27—मुर्गा, मछली, भैंसा, बकरा, व अन्य मीट की दुकान हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की फीस रु0 2,000.00 वार्षिक।

28—नगर पंचायत सीमा में स्थित नाला, नाली, सड़क अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा पाये जाने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 1,000.00 तथा पुनरावृत्ति करने पर शुल्क रु0 5,000.00 प्रति प्रकरण।

29—नगर पंचायत सीमान्तर्गत सेप्टिक टैंक की सफाई हेतु सीवर सेक्शन मशीन का किराया रु0 2,500.00 प्रथम चक्कर तथा अन्य चक्करों हेतु रु0 2,000.00 प्रति चक्कर शुल्क देय होगा। नगर पंचायत सीमा क्षेत्र से बाहर जाने पर रु0 5,000.00 प्रति चक्कर देय होगा।

30—छोटी बाउण्ड्री युक्त या मकानों के मध्य खाली भू-खण्ड पर पड़ोसियों के द्वारा कूड़ा फेंकने को दृष्टिगत रखते हुये उनके द्वारा अपने खाली भू-खण्डों व छोटी बाउण्ड्रीवाल पर न्यूनतम 02 मी0 ऊंची बाउण्ड्रीवाल निर्मित न करने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 1,000.00 प्रति प्रकरण।

31—नगर पंचायत सीमान्तर्गत चलने वाले ई-रिक्शा/टैम्पों का लाइसेंस शुल्क रु0 600.00 वार्षिक।

32—नगर पंचायत सीमान्तर्गत स्थित मेडिकल स्टोर का लाइसेंस शुल्क रु0 2,000.00 वार्षिक।

33—नगर पंचायत ओरन, बांदा की सीमान्तर्गत संचालित निजी स्वामित्व के स्कूल/कालेज पर व्यवसायिक शुल्क रु0 1 प्रति छात्र वार्षिक।

34–नगर पंचायत ओरन, बांदा सीमान्तर्गत स्थित बियर, देशी शराब एवं विदेशी शराब की दुकानों का लाइसेंस शुल्क (एक वर्ष के लिए) निम्न प्रकार से देय होगा।

1–बियर की दुकान	–	रु0 10,000.00 प्रति दुकान ।
2–देशी शराब की दुकान	–	रु0 12,000.00 प्रति दुकान।
3–विदेशी शराब की दुकान	–	रु0 15,000.00 प्रति दुकान।

35–नगर पंचायत ओरन, बांदा सीमान्तर्गत भवनों के निर्माण स्वीकृत शुल्क/भवन मानचित्र शुल्क निर्धारण निम्न प्रकार से देय होगा।

क्र0 सं0	आवासीय भवन		व्यवसायिक भवन	
	क्षेत्रफल	शुल्क	क्षेत्रफल	शुल्क
1	प्रति वर्ग फिट	रु0 01.00	प्रति वर्ग फिट	रु0 02.00

36–ठेकेदारों के पंजीयन एवं नियंत्रित करने हेतु मानकः–

निविदा शुल्क–

(क) 0.00 से 1,00,000 तक	–	रु0 100.00।
(ख) 1,00,001 से 5,00,000 तक	–	रु0 500.00।
(ग) 5,00,000 से 10,00,000 तक	–	रु0 1,000.00।
(घ) 10,00,000 से ऊपर	–	रु0 2,000.00।

37–सचिव उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग–9, शासनादेश सं0 406/नौ–9–1997–95 जनवरी/96 दिनांक 10 फरवरी, 1997 के अनुपालन में नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

(क) डिश एन्टीना शुल्क–

(1) नगर पंचायत ओरन, बांदा सीमान्तर्गत डिश एन्टीना के माध्यम से टी0वी0 प्रसारण किया जाता है, या डिश एन्टीना का व्यवसाय किया जाता है।

(2) प्रत्येक डिश एन्टीना स्वामी/साझेदार पर उनके दिये गये कनेक्शनों पर प्रति कनेक्शन शुल्क रु0 20.00 प्रति माह लिया जायेगा।

(3) डिश एन्टीना स्वामी माह के अन्तिम सप्ताह में संचालित कनेक्शन की सूची अनिवार्य रूप से पंचायत में उपलब्ध करायेगा।

(4) कनेक्शनों की जांच/निरीक्षण नगर पंचायत अधिकृत अधिकारी द्वारा कभी भी किया जा सकेगा।

(5) केबिल तार इस प्रकार से लगाया जाये जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना/विद्युत आपूर्ति में बाधा की समस्या न हो।

(ख) विज्ञापन शुल्क–

सचिव, उ0प्र0 नगर विकास अनुभाग–9 शासनोदश सं0–618/नौ–9–2012–277–ज/2011, दिनांक 05 अप्रैल 2012 के द्वारा विज्ञापन/प्रचार के सम्बन्ध में दिशा निर्देश–

(1) विज्ञापन एवं विज्ञापन पट के लिए ऐसे स्थल चिन्हित किये जायेंगे जो प्रत्येक स्थिति में निरापथ, निर्बाध, गमनागमन और सुगम यातायात के लिए सर्वथा उपयुक्त हो।

(2) विज्ञापन पटों की सुदृढ़ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाये, ताकि कोई दुर्घटना न होने पाये।

(3) विज्ञापनों को वृक्षों, बल्लियों, बांस या लकड़ी से बांधा नहीं जायेगा, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये कि विज्ञापन के आस-पास कलात्मक सौन्दर्य नष्ट न हो और लोक सम्पत्ति किसी प्रकार विरूपित न हो।

(4) व्यक्तिगत सम्पत्ति/भवन पर विज्ञापन शुल्क रु0 04.00 प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह देय होगा।

(5) सार्वजनिक स्थल पर विज्ञापन शुल्क रु0 06.00 प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह देय होगा।

(6) किसी भी विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी भी दशा में जनहित व निकाय हित के प्रतिकूल नहीं होने चाहिये, उसमें सम्प्रदर्शित विज्ञापन किसी भी प्रकार से अशिष्ट, अश्लील, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अथवा आपत्तिजनक प्रवृत्ति के नहीं होने चाहिये।

(7) किसी भी विज्ञापन को नगर पंचायत सीमन्तर्गत लगाने से पहले नगर पंचायत से अनुमति लेना अनिवार्य है।

नगर पंचायत की उपरोक्त दरों को समय -समय पर संशोधित करने का अधिकार अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

नोट–उपरोक्त नगर पंचायत ओरन, बांदा विविधकर शुल्क उपविधि नियमावली, 2020 उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन/मुद्रण की तिथि से प्रभावी होंगी। इस उपविधि में उल्लिखित विविधकर की दरों में एवं पूर्व प्रकाशित नगर पंचायत ओरन, बांदा की उपविधि दरों में कोई विरोधाभास हो तो विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2012 में उल्लिखित दरें प्रभावी मानी जायेंगी।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, ओरन, बाँदा।

कार्यालय, नगर पंचायत, ओरन (बाँदा)

30 सितम्बर, 2023

सं0 419/न0पं0ओरन/2023–24–उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत ओरन, जनपद बांदा अनपी बैठक संकल्प संख्या 03 दिनांक 12 फरवरी, 2018 प्रस्ताव संख्या–02 तथा बैठक संकल्प संख्या 04, दिनांक 16 सितम्बर, 2023 प्रस्ताव संख्या 05(1) के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा में ''ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि नियमावली, 2017'' बनायी जाती है। नियमावली की धारा 301 के अन्तर्गत दैनिक समाचार-पत्र ''दैनिक अमर उजाला'' दिनांक 21 जनवरी, 2020 एवं ''दैनिक नवकर्मयुग प्रकाशन'' दिनांक 20 जनवरी, 2020 में प्रकाशन कराकर किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे कि यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत ओरन, जनपद बांदा के कार्यालय में प्रकाशन की तिथि के 15 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है, जिसका नियमानुसार निस्तारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जायेगा परन्तु 15 दिन के बाद प्राप्त आपत्तियों व सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त न होने की दशा में निम्नवत् उपविधि राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि नियमावली 2017

शासनादेश संख्या–2399/नौ–9–94–204 (जनरल)/90 दिनांक–27 अक्टूबर, 1994 के अनुपालन में उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–298 जो नगर पंचायत ओरन पर प्रवृत्त है, के अन्तर्गत नगर पंचायत ओरन, जनपद बांदा में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि नियमावली–2017 कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नवत् है–

नियमावली/उपविधियॉ

1–संक्षिप्त शीर्ष नाम प्रारम्भ और आवृत्ति।

2–यह नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

परिभाषाये 5 विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल होने पर इस नियमावली में–

क–अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

ख–नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत ओरन, जनपद–बाँदा से है।

ग–शुल्क का तात्पर्य नगर पंचायत में वर्णित मदों पर लगाये गये शुल्क से है।

घ–प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत ओरन, जनपद–बाँदा से है।

ङ–निरीक्षणकर्ता से तात्पर्य कर निरीक्षक या जिसको नगर पंचायत ओरन, जनपद–बाँदा द्वारा अधिकृत किया गया हो।

3–नियमावली में दी गई तालिका में वर्णित मदों पर निर्धारित धनराशि को नगर पंचायत ओरन, जनपद–बाँदा की सीमा में रहते हुए प्रतिदिन/प्रतिघटना शुल्क के रूप में देना होगा।

4–नियमावली में दी गई तालिका में वर्णित मदों पर शुल्क दिये जाने की सूची तैयार करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत ओरन, जनपद–बाँदा को होगा।

5–अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे प्रत्येक 5 वर्ष में उपविधि का पुनरीक्षण करायेंगें अपरिहार्य परिस्थियों में यदि उपविधि का पुनरीक्षण न हो सकता हो तो प्रत्येक 5 वर्ष में निर्धारित चार्ज से 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए शुल्क वसूलना सुनिश्चित करायेंगें।

क्र0 सं0	कृत्य	नगर पंचायत द्वारा आरोपित धनराशि
1	2	3
1	आवासीय भवन स्वामियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	रु0 50 प्रतिदिन
2	दुकानदारों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	रु0 50 प्रतिदिन
3	रेस्टोरेन्ट मालिको द्वारा खुले में कचरा डालने पर	रु0 500 प्रतिदिन
4	होटल मालिको द्वारा खुले में कचरा डालने पर	रु0 1,000 प्रतिदिन
5	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा खुले में कचरा डालने पर	रु0 1,000 प्रतिदिन
6	हलवाई, चाट पकौडी, फास्ट फूड आइसक्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य जूस सब्जी एवं फ्रूट आदि ठेला व्यवसायियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	रु0 100 प्रतिदिन
7	गोबर सार्वजनिक स्थानों में डालने पर	रु0 100 प्रतिदिन
8	निजी ट्रैक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर पंचायत की सडक पर अपनी सामग्री बिखेरने व गन्दगी फैलाने पर	रु0 100 प्रतिदिन
9	सरकारी भवनों, चौराहों एवं शहरी चार दीवारी की दीवारों व उनके गेटों पर निजी वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारे ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने व बैनर्स लगाने पर उस संस्था के मालिक अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर)	रु0 100 प्रतिदिन
10	बिना सक्षम स्वीकृति के रोडकट करने पर तथा नाली तोडने की दशा में	रु0 200 प्रति वर्ग फुट
11	अपने मकान भवन का सीवरेज कनेक्शन नही लेकर सीवरेज की गन्दगी आम नाली/नाले में बहाने पर।	रु0 200 प्रतिदिन तथा मरम्मत चार्ज
12	क्रमांक 2 से 6 तक वर्णित व्यवसायियों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित रखने के लिए निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र आवश्यक क्षमता का नही रखने पर	रु0 100 प्रतिदिन
13	दुकानदार अथवा ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर व साइकिल रिपेयरिंग कर ऑयल, मिट्टी व पानी फैलाकर गन्दगी करने पर	रु0 100 प्रतिदिन

1	2	3
14	मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गये जानवरों की हड्डियॉ, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सड़क आम रास्तों में डालकर गन्दगी फैलाने पर	रु0 100 प्रतिदिन
15	आम रास्ता, सड़क व मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड़, ऊॅट, गधा, घोड़ा सुअर इत्यादि पालतू जानवरों से गन्दगी फैलाने पर	रु0 100 प्रतिदिन
16	शादी/विवाह स्थलों के बाहर खुले में कचरा डालने पर	रु0 200 प्रतिदिन
17	आम रास्ता, सड़क पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुलेआम मॉस–मछली पकाने व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	रु0 200 प्रतिदिन
18	सार्वजनिक स्थान, जमीन व सड़क के किनारे बेंचकर छिलके व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	रु0 200 प्रतिदिन
19	हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता व सड़क पर गन्दगी, बाल इत्यादि डालने पर	रु0 50 प्रतिदिन
20	दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता, सडक अथवा दुकानों के सामने की खाली सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर, भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर	रु0 500 प्रतिदिन
21	आम रास्ता, सड़क, फुटपाथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर जूते, चप्पल, खाद्य सामग्री बेचना, भोजनालय ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर	रु0 250 प्रतिदिन
22	प्राइवेट आस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, दवाखाना इत्यादि द्वारा आम रास्तों, सड़क फुटपाथ पर गन्दगी डालकर गन्दगी फैलाने पर	रु0 200 प्रतिदिन
23	सड़क के किनारे वाशिंग मशीन लगाकर गाडियों की धुलाई करने की दशा में	रु0 200 प्रतिदिन
24	विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों जैसे प्राइवेट आस्पताल नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथोलॉजी इत्यादि के जैब चिकित्सीय अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट में अथवा सार्वजनिक स्थान पर डालने पर	रु0 200 प्रतिदिन तथा पानी का कनेक्शन काटने का चार्ज
25	खुले में शौच करने पर	रु0 50 प्रतिदिन
26	खुले में पेशाब करने पर	रु0 10 प्रतिदिन
27	व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर नीला एवं हरा डस्टबिन न रखने पर	रु0 10 प्रतिदिन
28	पान मसाला/गुटखा इत्यादि की पीक सड़क, पटरी, दीवार व सरकारी भवन में थूकने व धूम्रपापन करने पर	पहली बार पाये जाने पर रु0 100 दोबारा पाये जाने पर 500/–
29	नाली में कूडा/कचरा इत्यादि डालकर नाली अवरूद्ध करने पर	रु0 100 प्रतिदिन
30	घरेलू (तेजाब, हारपिक, सेनेटरी पेड़ इत्यादि) तथा विनाशकारी इलेक्ट्रोनिक कचरा खुले में डालने पर	रु0 100 प्रतिदिन
31	खाली प्लाट में सॉलिड वेस्ट (कचरा, गोबर इत्यादि) फैलाने पर	रु0 100 प्रतिदिन
32	बल्क बेस्ट उत्पादक द्वारा अपने परिक्षेत्र में कचरा फैलाने/इधर-उधर फेकने तथा आग लगाने इत्यादि पर	रु0 500 प्रति घटना

1	2	3
33	मकान को तोड़ फोड़/पुनः निर्माण/नवनिर्वाण से उत्पन्न कचरे को खाली प्लाट/सरकारी भूमि तथा इधर-उधर फेंकने पर	रु0 100 प्रतिदिन
34	गीले एवं सूखे कूड़े को पृथक-पृथक न देने पर	रु0 20 प्रतिदिन घरेलू रु0 5,000 प्रति घटना (मैरिज होम, वैवाहिक स्थल प्रति हॉल इत्यादि) रु0 5,000 प्रति घटना (व्यवसायिक स्थल)
35	नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल (NGT) की धारा के अन्तर्गत नगर पंचायत सीमान्तर्गत कूड़ा जलाने पर	रु0 100 का जुर्माना प्रति घटना तत्काल वसूल किया जायेगा
36	मा0 उच्च न्यायालय की सुनवाई दिनांक 09 नवम्बर 2016 पर नगर विकास अनुभाग के आदेश संख्या–3595–/नौ–5–2016–29 रिट/2014 दिनांक 08 नवम्बर 2016 एवं नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल (NGT) की धारा के अन्तर्गत नगर पंचायत सीमान्तर्गत भवन निर्माण सामग्री (C&D) को सड़क फुटपाथ, खाली प्लाट में डालने पर नोटिस के एक सप्ताह बाद।	रु0 300 प्रति घटना
37	उ0प्र0 विकास अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या–1056/9–7–18–19 (लखनऊ)–18 दिनांक 15 जुलाई 2018 के अनुपालन में 50 माइक्रोन से कम घनत्व के प्लास्टिक कैरी बैगों और 50 अथवा उससे अधिक माइक्रोन के घनत्व के निस्तारण योग्य कैरी बैग जिनके विनिर्माता का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या न हो के उपयोग तथा प्लास्टिक या थर्माकोल से निर्मित एक बार उपयोग के पश्चात निस्तारण योग्य कपों, गिलासों, प्लेटों, चम्मचों, टक्लरों का विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भणडारण, परिवहन, आयात या निर्यात करते हुये पकड़े जाने पर	100 ग्राम तक रु0 1000 101 ग्राम 500 ग्राम तक रु0 2,000 501 ग्राम 1 कि0ग्रा0 तक रु0 5,000 1 कि0ग्रा0 5 कि0ग्रा0 तक रु0 10,000 5 कि0ग्रा0 से अधिक रु0 25,000

दण्ड

उपरोक्त शुल्क प्रथम बार उलंघन करने पर आरोपित किया जायेगा। घटना की पुनरावृत्ति करने पर 2 से 3 गुना तक वसूल किया जायेगा। जुर्माना लगाये जाने का अधिकार अधिशासी अधिकरी अथवा अध्यक्ष, नगर पंचायत ओरन, जनपद–बाँदा में निहित होगा।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, ओरन, बाँदा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अमरेन्द्र सिंह पुत्र श्री छत्रेश्वर सिंह भारती है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख आधार कार्ड में अंकित है, किन्तु मेरे रिलायंश कैपिटल के शेयरों में मेरा नाम अंकि जे कुमार सिंह अंकित हो गया है।

उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही है, भविष्य में मुझे अमरेन्द्र सिंह पुत्र श्री छात्रेश्वर सिंह भारती के नाम से जाना व पहचाना जाये।

अमरेन्द्र सिंह,
पता- ए 202, आई0एम0टी0 स्टेट, अपार्टमेंट,
विवेकानन्दपुरी, विहाइण्ड रैदास मंदिर,
नियर विवेकानन्द अस्पताल, लखनऊ,
पिन कोड–226007।

सूचना

कालीचरण विद्यालय हाईस्कूल इन्डाऊमेंट ट्रस्ट लखनऊ, कालीचरण पी0जी0 कालेज लखनऊ एवं कालीचरण इण्टर कालेज लखनऊ के प्रबन्ध समिति के गठन का प्रकाशन सरकारी गजट उत्तर प्रदेश में दिनांक 25 फरवरी, 2023 में हुआ। श्री अशुतोष टण्डन 'गोपाल जी' सदस्य का मनोनयन Government of United Provinces के Notification में निर्दिष्ट प्रावधान नं0 802-XV/251 दिनांक 22 जून 1912 के संशोधित Notification, Government of United Provinces Education (A) Department No. A-6035/XV-666-47 Dated Lucknow July 11, 1947 की धारा 2B (iii) एवं प्रशासन योजना की धारा 05 ख 03 के क्रम में हुआ था। जिनका निधन दिनांक 09 नवम्बर, 2023 को होने के कारण रिक्त पद पर ट्रस्ट की नियमावली की धारा 2 C-(4) एवं प्रशासन योजना की धारा 08 की व्यवस्था के अनुसार अवशिष्ट समय (Residue of the term) के लिए गजट में प्रकाशन की तिथि से श्री अमित टण्डन पुत्र स्व0 लाल जी टण्डन, सामाजिक कार्यकर्ता पताः–सोंधी टोला, चौक लखनऊ को कालीचरण विद्यालय हाईस्कूल इन्डाऊमेंट ट्रस्ट लखनऊ, कालीचरण पी0जी0 कालेज, लखनऊ एवं कालीचरण इण्टर कालेज लखनऊ, के प्रबन्ध समिति का सदस्य मनोनीत किया जाता है।

सूर्य पाल गंगवार,
जिलाधिकारी लखनऊ एवं अध्यक्ष,
प्रबन्ध समिति,
कालीचरण विद्यालय हाईस्कूल इन्डाऊमेंट ट्रस्ट,
कालीचरण पी0जी0 कालेज,
कालीचरण इण्टर कालेज, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स एडीएस लेबटेक, 39/2/10ए, साईट-4, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद-201010 की साझीदारी दिनांक 21 मई, 2015 के अनुसार श्री शक्ति कुमार सिंह एवं श्री अमित कुमार साझीदार थे। दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 की संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार श्री प्रेमपाल सिंह फर्म की साझीदारी सम्मिलित होने के बाद श्री शक्ति कुमार सिंह, श्री अमित कुमार एवं श्री प्रेमपाल सिंह साझीदार हुये। दिनांक 27 नवम्बर, 2021 को श्रीमती पूनम सिंह फर्म की साझीदारी सम्मिलित हुई एवं श्री प्रेम पाल सिंह एवं श्री अमित कुमार साझीदारी से अपना-अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग होने के बाद श्री शक्ति कुमार सिंह एवं श्रीमती पूनम सिंह साझीदार हुये। दिनांक 01 जनवरी, 2023 के संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार श्री वीरेन्द्र कुमार तिवारी फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुए है एवं श्री शक्ति कुमार सिंह अपना-अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग होने के बाद श्रीमती पूनम सिंह एवं श्री वीरेन्द्र कुमार तिवारी साझीदार हैं। यह घोषणा करता हूँ कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

पूनम सिंह,
साझीदार,
मेसर्स एडीएस लेबटेक,
39/2/10ए, साईट-4, इण्डस्ट्रियल एरिया,
साहिबाबाद, गाजियाबाद-201010

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सुरेन्द्र सिंह ग्राम लंगड़ी पो0 लेहनी हाटा जिला कुशीनगर उ0प्र0 नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 03 जून, 2011 से श्री सुरेन्द्र सिंह व श्री राम नरायन सिंह साझेदार थे। यह कि उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स गोरखपुर में पंजीकरण सं G-3832 पर पंजीकृत है। यह कि उक्त फर्म के साझेदारी डीड दिनांक 18 नवम्बर, 2023 से श्री धर्मेन्द्र सिंह उक्त फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हुए है व साझेदारी डीड दिनांक 18 नवम्बर, 2023 में श्री राम नरायन सिंह रिटायर्ड हो गये है तथा उक्त फर्म का पूर्व नाम मेसर्स सुरेन्द्र सिंह से परिवर्तन कर मेसर्स एस0एस0 इंफ्रास्ट्रक्चर किया गया है। उक्त फर्म में क्रमशः

श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री धर्मेन्द्र सिंह जी है। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन-देन बकाया नहीं है।

सुरेन्द्र सिंह/साझेदार,
मे0 एस0एस0 इंफ्रास्ट्रक्चर,
ग्राम–लंगड़ी, पो0–लेहनी हाटा,
जिला–कुशीनगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स मंगल मूर्ति प्रापर्टीज, पता-डी-3 नियर राना नर्सिंग होम राप्तीनगर फेज-4 जनपद गोरखपुर, 273003 में साझेदारी डीड दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 को सहायक निबन्धक, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, जनपद लखनऊ के वहां, 2 पार्टनर क्रमशः प्रथम साझेदार श्रीमती सुनीता मद्धेशिया पत्नी श्री अशोक कुमार मद्धेशिया, पता-डी-3, निकट राना निर्सिंग होम, राप्तीनगर, फेज-4 जनपद गोरखपुर एवं द्वितीय साझेदार श्री रोहित कुमार सिंह पुत्र श्री आर0 एन0 सिंह, पता-ई-2/332, विनय खण्ड, गोमतीनगर, जनपद लखनऊ, उ0प्र0 226010 रजिस्ट्रेशन संख्या एलयूसी/0001563 पर पंजलीकृत है। परन्तु फर्म के द्वितीय साझेदार श्री रोहित कुमार सिंह पुत्र श्री आर0एन0 सिंह, पता-ई-2/332, विनय खण्ड, गोमती नगर, जनपद लखनऊ दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 से अलग हो गये है। उनके स्थान पर बतौर पार्टनर श्री शिखर मद्धेशिया पुत्र श्री अशोक कुमार मद्धेशिया, पता-128, डी-3 राप्तीनगर फेस-4, निकट राना नर्सिंग होम, पो0-चरगांवा, जनपद गोरखपुर, उ0प्र0 दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 को सम्मिलित कर लिया गया है। उक्त तिथि से पूर्व के साझेदार श्री रोहित कुमार सिंह का भविष्य में कोई लेना-देना नही होगा। वर्तमान में उक्त फर्म में श्रीमती सुनीता मद्धेशिया प्रथम एवं श्री शिखर मद्धेशिया द्वितीय साझेदार के रूप में सम्मिलित है।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

श्रीमती सुनीता मद्धेशिया,
साझेदार,
मे0 मंगल मूर्ति प्रापर्टीज, पता-डी-3
नियर राना नर्सिग होम राप्तीनगर
फेज-4 जनपद गोरखपुर।

सूचना

एत्त द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स-चौधरी नर्सिंग एण्ड कामर्शियल सेन्टर एस-1 यू0पी0 एस0आई0 डी0सी0, चिनहट-देवा रोड, जिला-लखनऊ की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है फर्म में डॉ0 ए0के0 मिड्ढा, श्रीमती मेनका सिंह एवं श्रीमती सुषमा अरोड़ा साझेदार है, जिसमें से एक साझेदार डा0 ए0के0 मिड्ढा का निधन दिनांक 03 जुलाई, 2023 को हो गया है जिनके स्थान पर उनके पुत्र श्री रोहित मिड्ढा को फर्म की साझेदारी में दिनांक 03 जुलाई, 2023 को शामिल कर लिया गया है। वर्तमान में फर्म में तीन साझेदार श्री रोहित मिड्ढा, श्रीमती मेनका सिंह एवं श्रीमती सुषमा अरोड़ा साझेदार है। जिसकी सूचना दी जा रही है।

श्रीमती मेनका सिंह,
साझेदार,
चौधरी नर्सिंग एण्ड कामर्शियल सेन्टर,
जिला लखनऊ।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदार फर्म मे0 राधा रानी कोल्ड स्टोरेज, शमसाबाद रोड़ लखुरानी, आगरा के साझेदारों/विधान में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

यह है कि उक्त फर्म में दिनांक 07 नवम्बर, 2023 से श्री मती नीतू गुप्ता पत्नी श्री राहुल कुमार गुप्ता तथा श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी स्व0 रविन्द्र कुमार गुप्ता निवासीगण– 2, गुलमोहर एन्कलेव, शमसाबाद रोड, आगरा नये भागीदार की हैसियत से सम्मिलित कर लिया गया है। अब फर्म में श्री सौरभ बंसल, श्रीमती पूनम बंसल, श्रीमती नीतू गुप्ता तथा श्रीमती मंजू गुप्ता भागीदार हो गये है।

सौरभ बंसल,
भागीदार,
मे0 राधा रानी कोल्ड स्टोरेज,
शमसाबाद रोड़, लखुरानी, आगरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s. VASTECHGROUP 3/12 उस्मानपुर कालोनी जूही कानपुर नगर की साझेदारी डीड दिनांक

27 जुलाई, 2022 में निम्न परिवर्तन किये गये हैं जिसमें फर्म का कार्यालय दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 से परिवर्तित करके भवन संख्या 27 ई0डब्ल्यू0एस0 उस्मानपुर साकेत नगर जूही कालोनी कानपुर नगर कर दिया गया है इसके साथ ही फर्म में 12 दिसम्बर, 2023 की प्रातः से अमित श्रीवास्तव (Amit Srivastava) पुत्र चंद्र बोस प्रकाश श्रीवास्तव (Chandra Bosh Prakash Srivatava) निवासी 27 ई0डब्ल्यू0एस0 उस्मानपुर साकेत नगर जूही कालोनी कानपुर नगर साझेदारी फर्म में शामिल हो गये हैं साझीदारी श्री विशाल वर्मा (Vishal Verma) पुत्र श्री दिनेश वर्मा (Dinesh Verma) निवासी 3/12 उस्मानपुर साकेत नगर जूही कालोनी कानपुर नगर 12 दिसम्बर, 2023 की शाम से उक्त फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा से प्रथक हो गये है।

यह कि पार्टनरशिप डीड दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 से फर्म में वर्तमान में निम्न साझीदार हैः–

1-Ankur Srivastava S/o Chandra Bose Prakash Srivatava R/o 27 E.W.S. Usmanpur Saket Nagar, Juhi Colony Kanpur Nagar.

2-Amit Srivastava S/o Chandra Bose Prakash Srivatava, R/o 27 E.W.S. Usmanpur Saket Nagar, Juhi Colony Kanpur Nagar.

Ankur Srivastava,
साझीदार
M/s. VASTECHGROUP.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कार्तिक शुक्ल (KARTIK SHUKLA) है जो उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या–619311990142 में मेरे पुत्र का नाम विभाँग शुक्ल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कार्तिक शुक्ल पुत्र सिद्धेश चन्द्र शुक्ल के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाये।

सिद्धेश चन्द्र शुक्ल,
नि0–वार्ड नं0-05 चौक बाजार,
पट्टी, प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पत्नी का सही नाम जावित्री देवी (Javitri Devi) है जो उनके शैक्षिक अभिलेखों, आधारकार्ड, पैनकार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरी सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों में मेरी पत्नी का नाम जावित्री पटेल (Javitri Patel) अंकित हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मेरी पत्नी को उनके सही नाम जावित्री देवी पत्नी तेजबहादुर पटेल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

तेजबहादुर पटेल,
निवासी–ग्राम-रसुलहा, पोस्ट-परियत,
जिला–जौनपुर।

सूचना

सूच्य हो कि प्रार्थिनी का नाम सुरभि शाही (Surbhi Shahi) माता का कंचन शाही (Kanchan Shahi) पिता का अशोक कुमार शाही (Ashok Kumar Shahi) सही है जो आधारकार्ड, पैनकार्ड व शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। मेरे हाईस्कूल (C.B.S.E.) के सह अंक प्रमाण-पत्र (अनुक्रमांक–5171764/2019) में त्रुटिवश मेरा सुरभि शाहनी (Surbhi Shahni) माता का कंचन शाहनी (Kanchan Shahni) पिता का अशोक शाहनी (Ashok Shahni) नाम दर्ज है जो गलत है।

सुरभि शाही,
पुत्री अशोक कुमार शाही,
ग्रा0 व पो0 भैरोपुर,
तह–मधुबन, मऊ, यू0पी0।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मॉ दुर्गा कन्स्ट्रक्शन, नगला ताल, बमरौली कटारा, जिला–आगरा परिवर्तित पता–एस0एफ0एस0 103/16, सेक्टर–16, पं0 दीन दयाल उपाध्याय पुरम्, सिकन्दरा योजना, आगरा में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

यह है कि दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को श्री प्रिन्स गुप्ता पुत्र श्री राकेश गुप्ता निवासी–जमुना गली, फतेहाबाद, अगारा को उक्त फर्म में भागीदार की हैसियत से सम्मिलित कर लिया गया है। दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को फर्म के प्रथम भागीदार श्री राजकुमार पुत्र श्री प्रभु दयाल निवासी–नगला ताल बमरौली कटारा, आगरा फर्म

की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं तथा उक्त दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को ही श्री राजेन्द्र कटारा पुत्र श्री राजकुमार कटारा निवासी–नगला ताल, बमरौली कटारा आगरा को फर्म में भागीदार की हैसियत से सम्मिलित कर लिया गया है। दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को फर्म के भागीदार श्री प्रिन्स गुप्ता पुत्र श्री राकेश गुप्ता निवासी–जमुना गली, फतेहाबाद, आगरा फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं। अब फर्म में श्री राजेन्द्र कटारा तथा भरत पाराशर भागीदार हैं।

भरत पाराशर,
भागीदार,
मॉ दुर्गा कन्स्ट्रक्शन,
नगला ताल, बमरौली कटारा,
जिला–आगरा।

सूचना

सर्वसाधारण तथा फर्म से सम्बन्धित सर्वजनों को सूचित किया जाता है कि फर्म में विजय कुमार शाही एण्ड ब्रदर्स पंजीकृत कार्यालय देवीपुर सरदार नगर चौरी-चौरा, जनपद–गोरखपुर कार्यालय 814 सी विष्णुपुरम, पोस्ट–बशारतपुर शाहपुर, गोरखपुर जो सहायक निबंन्धक फर्म गोरखपुर मंडल, गोरखपुर के द्वारा पंजीकृत है। जिसका पंजीयन संख्या 0078/19–20 पत्रावली संख्या जी0ओ0आर0/0003293 है, के एक साझेदार श्री मृत्युन्जय कुमार शाही पुत्र श्री जयशंकर शाही निवासी देवीपुर सरदार नगर चौरी-चौरा, जनपद–गोरखुर ने स्वेच्छा से दिनांक 18 नवम्बर, 2023 से अपना हिसाब करके फर्म से अलग हो गये हैं। इनके स्थान पर जान्हवी शाही पुत्री श्री अजय कुमार शाही को फर्म का साझेदार बनाया गया है।

अजय कुमार शाही,
मे0 विजय कुमार शाही एण्ड ब्रदर्स,
देवीपुर सरदार नगर चौरी-चौरा,
जनपद–गोरखपुर।

सूचना

मेरे हाईस्कूल अंक अनुक्रमांक 23198719 वर्ष 2021 के अंक-पत्र सह प्रमाण-पत्र एवं इण्टरमीडिएट अनुक्रमांक 23682966 वर्ष 2023 के अंक-पत्र सह प्रमाण-पत्र में माता जी का नाम डिम्पल अग्रवाल अंकित हो गया है, जो कि गलत है। सही नाम मेरी माता जी का सारिका अग्रवाल है, जो सही है और प्रत्येक जगह पैन कार्ड, आधार कार्ड, पास पोर्ट और वोटर कार्ड पर सारिका अग्रवाल है जो सही है।

आकृति अग्रवाल,
पुत्री दिनेश अग्रवाल,
122/307, शास्त्री नगर,
कानपुर।

पी0एस0यू0पी0–38 हिन्दी गजट–भाग 8–2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।